



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Handwritten: 11/09/97
28/10/97

सं० 509]
No. 509]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 1997/भाद्र 13, 1919
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 1997/BHADRA 13, 1919

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1997

का. आ. 638(अ).—केन्द्र सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, इसके साथ संलग्न तालिका (जिसे इसमें आगे उक्त तालिका कहा गया है) के कालम (1) में यथा उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त तालिका के कालम (2) में उसके सामने यथा उल्लिखित संगत खंड के उक्त तालिका के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट भाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है ।

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खण्ड	भाग कि.मी.
1	2	3
8.	कोटपुतली से जयपुर (राजस्थान राज्य में)	162.5 से 248.0 कि.मी.

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एन एच-37011/7/97-डी. ओ.-1 (अ)]

ए. डी. नारायण, महानिदेशक,

(सड़क विकास) एवं अपर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT**(Roads Wing)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th September, 1997

S.O. 638(E).— In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch as specified in column (3) of the Table annexed hereto (hereinafter referred to as the said Table) of the corresponding Section as mentioned against it in column (2) of the said Table of the National Highway as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway No.	Section	Stretch in km.
1	2	3
8	Kotputli to Jaipur (in the Rajasthan State)	From 162.5 km to 248.0 km.

[F. No. RW/NH-37011/7/97-DO. 1 (A)]
A. D. NARAIN, Director General,
(Road Developments) & Additional Secy.